



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



जमशोहपुर संसदीय

लोक सभा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं जीसाहू माड़ी * पुत्र/पुत्री/जन्मी वरीयड़ माड़ी
आयु 36 (छत्तीस) वर्ष, जो ग्राम - मुट्ठा, को. बांकरदा, भाग - नीट्का ज़िला - झुग्गी झंझुम
पिता - 832107 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं राष्ट्रीय देशभक्त पार्टी (* राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खाल किया गया अध्यर्थी/ * एक सरकारी अध्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(* जो लागू न हो उसे कट दें)

(2) मेरा नाम 46, फीटका (अंतर्गत) विधायक आवास, भारतपुर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 143 के क्रम सं. 223 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 9431544901 Josiemandi@yahoo.com है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) 25-7 है।

(4) इथाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिः :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल गई गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं जीसाहू माड़ी	ANRPM 4697E	2013 - 2014	501748
2.	पति या पत्नी मंजु माड़ी	25-7	25-7	25-7
3.	आश्रित - 1 ग्राजीकारी माड़ी	25-7	25-7	25-7
	आश्रित - 2 अनोनी माड़ी	25-7	25-7	25-7
	आश्रित - 3 शुभा	25-7	25-7	25-7



* यह अधिकारी लिखित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अधिकारी नहीं है।
संक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप दिरचित किया गया है/किए गए हैं।

✓ जीसाहू माड़ी

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	लाभू नदी दोता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लाभू नदी दोता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाभू नदी दोता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लाभू नदी दोता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लाभू नदी दोता
(च)	वह सभी या कोई कार्टवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेवी गई है/हैं	लाभू नदी दोता

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लाभू नदी दोता
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया हैं, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लाभू नदी दोता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	लाभू नदी दोता

(6) ~~प्रधानमंत्री के उपराज्यकारी अधिकारी (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) परिवर्तन द्वारा उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धादोष ठहराया गया है और एक वर्ष द्वारा अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं उहराया गया है और एक वर्ष द्वारा अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :~~

* निम्नलिखित जानकारी उपरोक्त लेख में सिद्धादोष ठहराया गया और दंडादेश किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :



निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदेश ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का तंकित विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदेश ठहराया गया है।	कागू नदी दोता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	कागू नदी दोता
(ग)	अधिरोपित दंड	कागू नदी दोता
(घ)	व्या सिद्धदेश ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	कागू नदी दोता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थादर आदि) के ब्यौरे नीचे देला हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बंध में बंधपत्रों/शेयर डिवैर्चरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में घालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हथ में नकदी	2,00,00/-	२५४	३५४	३५४	३५४
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खातें भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, और बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहायी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	३५५ अप्रैल ४५०.७२.०१/०००० ३५६ १०.५०००००/- १५.२२०५.२५८ १५.५७५५.०००० ₹३.५००/-	२५४	२५४	२५४	२५४
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और उन्हें में बंधपत्रों, डिवैर्चरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकधर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतानों में विनिधान और रकम	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिग्रहण और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(vi)	मोटरव्हाइन/वायुयान/याट/पोत (मैक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि व्राप लगे कर घर रखा रखा)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	व्यवाहार, विनिधान और मूल्यवान वस्तु (व्यापार और मूल्य के ब्यौरे)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	व्यापार और विनिधान आस्तियों जैसे विद्युतों/हित कर्म	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	मालामाल वस्तु	42,05,00/-	२५५	२५५	२५५	२५५



आ. रथावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1 - संयुक्त रवामित्र की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(I)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मौज़ा-भूरेपुर अंचल-धौरेपुर क्षेत्र सं.- ५२ ५८,५९,५४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	झेत्र (एकड़ में कुल माप)	७.५२ एकड़	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	वया विशेषत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	ठिकास, संग्रहालय आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	५,२६,०००	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
(ii)	नैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	झेत्र (वर्ग कुट में कुल माप)	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	वया विशेषत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	ठिकास, संग्रहालय आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४	२१-४



PRAMOD K. BHAGAT
NOTARY PUBLIC
REG. NO.
28/4/2011
Serial No. 1004
GOVT OF JHARKHAND
EAST SINGHBHUM

ठिकास, संग्रहालय आदि के माध्यम से भूमि

पर कोई विनिधान

अनुमानित चालू बाजार मूल्य

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	बाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	निर्दित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	वया विशस्त में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	विकास, संनियांण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	25/- अंकों में - 4 लाख -	25/-	25/-	25/-	25/-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6000	25/-	25/-	25/-	25/-
	निर्दित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2000	25/-	25/-	25/-	25/-
	वया विशस्त में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं)	६०	25/-	25/-	25/-	25/-
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	विकास, संनियांण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	544/- 3 लाख	25/-	25/-	25/-	25/-
	अम (जेवे विवरण में हित)	25/-	25/-	25/-	25/-	25/-
	(प्रति वर्ग फुट में) कुल चालू बाजार मूल्य	9,26000/-	25/-	25/-	25/-	25/-



- (8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे में जीवंदा हूँ:-
 (टिप्पणि : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, दक्षाया रकम, ऋण की प्रकृति	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	पूर्वोत्तम वर्ग से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, दक्षाया रकम, ऋण की प्रकृति	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	कोई अन्य दायित्व	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	दायित्वों का कुल योग	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	आय-कर शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	भनकर शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	सेवाकर शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
(iii)	नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	विकायकर शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	कोई अन्य शोध्य	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
बया कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हैं तो अंतर्वेलेत रकम और उस सरकारी जिसके समक्ष यह लाभित है का करें।		25-5	25-5	25-5	25-5	25-5



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :
 (क) स्वयं १८१८/५
 (ख) पति या पत्नी २५-८

(10) मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिए अनुसार है :-
 मेरी - १९९३, लखनऊ - १९९८, उत्तर - २००७, विद्युत २००९ - २०११, रेंजी विद्याविद्यालय
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए
 विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी सोसाइटी जाड़ी		
2.	डाक का पूरा पता	गोपनीय भूमिका नं. १२५ भानो - फौरठा निका - पुर्वी सैद्धांग पिन - ४३२१०७		
3.	निवासिनी की संख्या और नाम तथा राज्य	५६, फौरठा (अ. ग. गो) विद्यानन्दभा मताराट्टी		
4.	उस राजनीतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	शास्त्रीय देशोज पार्टी		
5.	(i) ऐसे लम्बित नामों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	१६/।		
	(ii) ऐसे नामों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से छिन्न]	७८/।		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	१६/।		
7.	... का स्थायी लेख सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर दिवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
(क) अभ्यर्थी	AWRPM 4697E	2013-2014	501748/-	
(ख) पति या पत्नी	२५-८	२५-८	२५-८	
आश्रित	२५-८	२५-८	२५-८	



8 आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)

विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	ज़रम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	₹ 1300/- साहू/कुल	25-5	25-5	25-5	25-5
ख.	स्थावर आस्तियाँ	8,2600/-	25-5	25-5	25-5	25-5
I.	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिधि लागत (यदि लागू हो)	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	(क) स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
	(ख) विरासी आस्तियाँ (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5
(ii)	ईका वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	25-5	25-5	25-5	25-5	25-5



चालम शक्तिक आहता :
नाणपत्र/डिलोमा/डिटी पत्रक्रम के पूर्ण प्रकार का उल्लेख करते हुए, उच्चाम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ज जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें।
MATRIC - 1992 BSEB, F. SC - 1998, Sir J.J. Wigeger
Graduation - 2007 RANCHI UNIVERSITY, LLB R.U. - 2011

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग पिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग के की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।


आज तारीख

26 मार्च 2014

को सत्यापित किया गया।

गोसाई भाटी
अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रधम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3 सभी स्तरों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तरभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठब्लप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण : 5 अभ्यार्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं. 121-रिसर्जेंस इण्डिया बनाम भारत निवाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यार्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक हैं। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यार्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देते। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिधारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे - "शून्य" या "लागू नहीं होता" या "जात नहीं है", जैसा भी है। उपर्युक्त टिप्पणी दर्शाइ जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यार्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।



PRAMOD KUMAR BHAGAT
NOTARY PUBLIC
East Singhbhum, Reg. No. 2842 (J)
Govt. Of Jharkhand, JSR, INDIA

Signature/Party T.I
in my presence

26/03/14
Advocate
Date.....: